कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2/2024 दायर दिनाँक 19.03.2024

वादी

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

प्रतिवादी

1. श्री आसीफनवाज खां पुत्र बाबुखां जाति कायमखानी नि0 डीडवाना
2. श्री नृसिंह पारीक पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण नि0 डीडवाना नाबालिक प्रतीक्षा जरिए संरक्षक माता सुशीला देवी जाति जाट भिडासरी लाडनूं
3. श्रीमति प्रियंका रूवटिया पत्नी नरेश रूवटिया जाति अग्रवाल नि0 डीडवाना नाबालिक पीयूषबेनीवाल संरक्षक माता सुशीला देवी जाति जाट सा0 भिडासरी
4. श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र गनीखां जाति शेरानी नि0 शेरानी आबाद
5. श्रीमति मीरादेवी पत्नी गोविन्दलाल रूवटिया जाति अग्रवाल नि0 डीडवाना
6. श्री संजयकुमार पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहम्ण सा0 डीडवाना
7. श्री सुनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट नि0 भाड़ासर त0लाडनूं
8. श्रीमति सुशीला देवी पत्नी संजय बेनीवाल जाति जाट नि0 भिडासरी तह0 लाडनूं।

दावा बाबत्

अन्तर्गत धारा— 177, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. तहसीलदार डीडवाना
2. श्री कमल मोठ अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 06.09.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है0, कि ग्राम मण्डाबासनी पटवार मण्डल दादूबासनी के खसरा सं0 1367/1021 रकबा 1.0440 हैक्ट0 जो कि वर्तमान में खातेदारों के क्रय दर्ज है। पटवारी की मौका रिर्पोट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की कुल 0.17 हैक्टे0 भूमि पर निमार्ण कार्य (पक्का निमार्ण) किया हुआ है। भूमि रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है और इसका उपयोग कृषि कार्य में नही होकर अकृषि उपयोग [illegible] है, [illegible] शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। धारा 177 RTA के तहत उक्त [illegible] खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज की जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री कमल किशोर मोट व श्री जय मोट ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब पेश हुआ कि उक्त भूमि खसरा सं0 1367/1021 रकबा 1.0440 हैक्टे0 भूमि नगर परिषद् डीडवाना की पेरा–फेरी क्षेत्र में आता हैक्टे0, अर्थात् उक्त भूमि नगर परिषद् डीडवाना की आबादी क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त भूमि में निमार्ण कार्य नगर विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए समस्त राजकीय औपचारिकताऐं पूर्ण करके बहुत थोड़ी जगह पर किया हुआ है। निर्माण कार्य से किसी भी प्रकार से खातेदारी की शर्तो का उल्लघंन नही हुआ है। उक्त कार्यो से कृषि भूमि की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।अप्रार्थीगण ने नगर परिषद् डीडवाना में पत्रावली पेश कर रखी है। अतः खसरा सं0 1367/1021 के संबन्ध में तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 23.11.2023 को जारी स्थगन आदेश को खारिज करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावें।

उभयपक्ष को सुना गया। तहसीलदार डीडवाना ने बरवक्त बहस अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण/खातेदारान कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर खातेदारी अधिकार की शर्तो का उल्लघंन किया है0, इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज की जावें।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस है0, कि खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिए कुछ निमार्ण कराया गया है। भूमि का अकृषि उपयोग नही किया गया है। भूमि नगर परिषद् डीडवाना की परिधिय क्षैत्र में होने के कारण भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु पत्रावली नगर परिषद् डीडवाना में लम्बित है ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादूबासनी के खसरा सं0 1367/1021 रकबा 1.0440 हैक्टे0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार डीडवाना का कथन है कि उक्त खसरा में से 0.17 हैक्टे0 भूमि का खातेदारान के द्वारा अकृषि उपयोग कर खातेदारी की शर्तो का उल्लघंन किया है0, इसलिए खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावें। अप्रार्थीगण/खातेदारान की आपत्ति है कि निर्माण कार्य भूमि की सुरक्षा के लिए किया गया है व भूमि रूपान्तरण की पत्रावली नगर परिषद् डीडवाना में लम्बित है ऐसी स्थिति में खातेदारी शर्तो का उल्ल्घंन नही किया गया है, प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार डीडवाना ने पटवारी हल्का दादूबासनी की रिर्पोट को मुख्य आधार मानकर यह प्रकरण पेश किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार उक्त खसरा की (0.13+0.01+0.02+0.01) कुल रकबा 0.17 हैक्टे0 पर पक्का निर्माण किया जाना व शेष भूमि पर अकृषि [illegible] जाना बताया गया है। यह अकृषि उपयोग किस श्रेणी का है अथवा [illegible] उपयोग किया जा रहा है स्पष्ट नही होता है। [illegible] कुछ भू–भाग प[illegible] निर्माण करने का उल्लेख है तो इस संबन्ध में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डीडवाना में भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदन पेश किया है जो क्रमांक 8347 दिनांक 20.08.2024 पर पंजीकृत है। खातेदारान द्वारा पेश भूमि रूपान्तरण की विधिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के पास विचाराधीन है इसलिए वर्तमान स्टेज पर इस प्रकरण में कार्यवाही करने अथवा प्रकरण के लम्बित रखने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः उक्त प्रकारण को वर्तमान स्टेज पर सशर्त खारिज किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण को निर्धारित समयावधि के भीतर उक्त भूमि की रूपान्तरण कार्यवाही करवाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

—: आदेश :—

सरहद मण्डबासनी पटवार हल्का दादूबासनी तहसील डीडवाना के आराजी खसरान 1367/1021 को लेकर प्रस्तुत हस्तगत कार्यवाही खारिज की जाती है। अप्रार्थीगण/खातेदारान को उक्त भूमि की संपरिवर्तन कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करवाने हेतु पाबन्द किया जाता है। उक्त अवधि तक खातेदारान के द्वारा भूमि रूपान्तरण नही करवाया जाता है तो तहसीलदार डीडवाना अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित करने के लिए स्वतन्त्र रहेगें।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 06.09.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner